सचिका स0–7/बजट–46–49/2025– 141 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– **सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 27/04/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में मगध प्रमंडल गया के एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं तीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में रू० 67,38,396/–(रूपये सड़सठ लाख अड़तीस हजार तीन सौ छियानवे) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 में मगध प्रमंडल गया के एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु 1,65,03,000/–एव तीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रो के भवन निर्माण कार्य हेतु 26,98,000x3= 80,94,000/– रूपये अर्थात कुल रुपये 1,65,03,000+80,94,000=2,45,97,000/- (दो करोड पैतालिस लाख सन्तानवें हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–1130(10), दिनाक–18.02.2019 एव आवटनादेश सख्या–33(10)ब, दिनाक–01.03.2019 द्वारा दी गयी थी। परन्तु सवेदक को अन्तिम विपत्र के भुगतान हेतु रू० 67,38,396/– मात्र की राशि पी०एल० खाते से दिनांक–31.03.2024 को स्वत व्ययगत हो गया, जिसकी सूचना बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्राक–12801 दिनांक–13.02.2026 द्वारा दी गयी है। राशि व्ययगत होने के कारण इस योजनान्तर्गत अन्तिम भुगतान का कार्य संस्थान के द्वारा नही किया जा सका। इस सदर्भ मे यद्यपि वित्त विभाग के पत्रांक–4588/वि०, दिनाक– 02 05 2024 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्वत व्ययगत से संबंधित मामले मे आवश्यकतानुसार बजट उपबध के माध्यम से आवटन की कार्रवाई की जा सकती है।

2– वर्णित स्थिति मे वित्तीय वर्ष 2018–19 मे मगध प्रमडल गया के एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एव तीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रो के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 मे रू० 67,38,396/–(रूपये सडसठ लाख अडतीस हजार तीन सौ छियानवे) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त भुगतान कार्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1130(10), दिनांक–18.02 2019 में निहित प्रावधानों/शर्तो एवं वित्तीय प्रावधानो के अधीन बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना द्वारा कराये गये कार्य के अधीन किये गये कार्य के प्रगति के आधार पर किया जायेगा।

4– इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनो का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210020510109, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अतर्गत उपवधित राशि से विकलनीय होगा ।

5– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 4588/वि०, दिनाक–02 05 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

6– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-518 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए एक पखवारे के अन्दर व्यय किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी स्थिति में कोषागार से राशि की निकासी कर किसी खाता में Park नहीं करेगे।

8-- बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–7/बजट–46–49/2025 के पृष्ठ–14/टि0 पर प्राप्त है।

10– प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12– इस स्वीकृत्यादेश के अधीन आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापाक– 07/बजट-46-49/2025.141(7A)/स्वा0, पटना, दिनाक–27/04/2026

प्रतिलिपि– योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मगध प्रमडल, गया/क्षेत्रीय अपर निदेशक, गया/जिला पदाधिकारी, गया/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।